कार्यालय

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष) मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, भोपाल

क्रमॉक/ एफ –8/2006 /10–10 /3391 भोपाल : दिनांक 18/10/06

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,(क्षेत्रीय)
समस्त वन मण्डलाधिकारी(क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश ।

विषय :– अग्नि सुरक्षा कार्य प्रारंभ करने बाबत ।

———

मध्यप्रदेश फारेस्ट मेन्युअल के अनुसार (प्रत्येक वर्ष की भॉति) वनों को अग्नि से सुरक्षित रखने के लिये विभिन्न कार्यो का कियान्वयन दिनांक 15 नवम्बर, 2006 से प्रारंभ किया जाना है । 15 नवम्बर, 2006 की तिथि नजदीक है । इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जा रहा है कि आप सुनिश्चित करें कि समुचे वनमण्डल में दिनांक 15 नवम्बर, 2006 से **प्रथम चरण** के कार्य अर्थात् लाइन कटाई एवं जलाई कार्य अवश्य प्रारंभ हो जावें । कार्य प्रारंभ करते समय निम्नलिखित कार्यवाही भी की जावे :–

1– वनों में अग्नि सुरक्षा कार्य प्रारंभ होने के पूर्व विभिन्न मीडिया माध्यमों से पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जाय कि वनों को अग्नि से सुरक्षित रखने हेतु कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। मीडिया को स्वीकृत लाइन कटाई की जानकारी तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय की जानकारी भी दी जाय ।

2– वन संरक्षक तथा वन मण्डलाधिकारी स्वतः किसी एक स्थल पर अग्नि सुरक्षा कार्यो का प्रारंभ स्वयं करें तथा इस कार्यक्रम में जन प्रतिनिधि तथा मीडिया को भी आमंत्रित किया जाय जिससे उनके ज्ञान में वृध्दि हो सके कि वनों को अग्नि से सुरक्षित रखने हेतु क्या कार्यवाही की जाती है ।

3– दिनांक 15 नवम्बर, 2006 वन अग्नि सुरक्षा कार्य प्रारंभ करने के रुप में मनाया जाय तथा प्रत्येक परिक्षेत्र में भी उसी दिन किसी एक स्थल पर कार्य प्रारंभ करने की कार्यवाही उपरोक्त बिन्दु क्रमॉक 2 में वर्णित प्रकिया अनुसार की जाय ।

4– प्रत्येक परिक्षेत्र में शुभारंभ किये गये लाइन कटाई व जलाई कार्य के कुछ फोटोग्राफ भी खींच कर इस संबंध में वन मण्डल स्तर पर एक छोटी रिपोर्ट तैयार की जाय जो वन

संरक्षक को प्रेषित की जाय । वन संरक्षक समस्त वन मण्डलों से प्राप्त रिर्पोट का संकलन कर उसकी जानकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अवलोकनार्थ दिनांक 30 नवम्बर, 2006 तक प्रस्तुत करें ।

द्वितीय चरण में वनों में लगने वाली आग का पता लगाने हेतु फायर वाचिगं केम्प्स स्थापित किये जायें जिसमें 3 व्यक्ति कार्यरत रहेगें । यह दल दिन–रात वनों की तकाई करके और किसी भी अग्नि घटना की जानकारी तत्काल नजदीकी परिक्षेत्र सहायक अथवा परिक्षेत्र अधिकारी को उपलब्ध करायेगें । यह केम्प दिनांक 15 फरवरी, 2007 से प्रारंभ होगा तथा 15 जून 2007 तक रहेगा । इसलिये 15 फरवरी, 2007 के पूर्व ही केम्प की स्थापना तथा केम्प पर रखे जाने वाले दैनिक वेतरन पर मजदूरों की पहचान कर ली जाय ।

तृतीय चरण में जब किसी वन क्षेत्र में आग लगने की घटना की जानकारी प्राप्त होती है तो यह संबंधित परिक्षेत्र सहायक अथवा परिक्षेत्र अधिकारी जिसको कि सूचना दी गई है, का दायित्व होगा कि वह आवश्यक संख्या में मजदूर इक्ठ्ठे करके अग्नि को नियंत्रित करें। इन मजदूरों को दैनिक मजदूरी पर रखा जायगा और इस पर होने वाले व्यय हेतु वन मण्डल को अतिरिक्त धन राशि उपलब्ध कराई जावेगी । प्रत्येक अग्नि घटना का पीओआर जारी होगा तथा भुगतान प्रमाणक पर इस पीओआर की प्रविष्ठि होगी जिससे ज्ञात हो सके कि अग्नि प्रकरण की सूचना किसने किसको दी तथा उस पर क्या कार्यवाही हुई व क्या व्यय आया तथा कितने वन क्षेत्र मे आग लगी या नुकसानी हुई।

अंतिम चरण में अग्नि सुरक्षा सीजन समाप्त होने के उपरान्त अर्थात् 15 जून, 2007 के उपरान्त दिनांक 15 जुलाई, 2007 के पूर्व प्रत्येक वन संरक्षक व्दारा मुख्यालय को उनके वृत्त में लगी अग्नि प्रकरणों के संबंध में जानकारी निम्न प्रपत्र अनुसार प्रेषित की जावेगी :–

अग्नि प्रकरणों से संबंधित जानकारी

क.	वृत्त	वनमण्डल	परिक्षेत्र	कुल अग्नि प्रकरणों की संख्या	प्रभावित क्षेत्रफल	नुकसानी	अग्नि पर नियंत्रण करने हेतु व्यय की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8

18/10

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)

मध्यप्रदेश